मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2009 (अग्रहायण 3, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण -

(क) वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन का षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2008-2009, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रणवीर सिंह जाटव, रामनिवास रावत, सदस्य, बैतूल जिले की सारणी ताप विद्युत गृह में लगे श्रमिकों का आर्थिक शोषण किये जाने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, मंडला जिले में अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, सतना जिले के सीमेंट संयंत्रों में श्रमिकों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले में "गांव की बेटी" योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में न दिये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री ध्रुव नारायण सिंह, सदस्य, भोपाल में नवीन ए.पी.एल. राशन कार्ड न बनने से खाद्यान्न न मिलने की ओर राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर में औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(7) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य, सतना जिले के चित्रकूट में जनभावनाओं को अनदेखा करते हुए सिविल न्यायालय खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर विधि और विधायी कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री रमेश दिलीप भटेरे, रामकिशोर (नानो) कांवरे, सदस्य, बालाघाट जिले में अवैध रेत का उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य, डिण्डोरी जिले में ट्रांसफार्मर एवं खम्भे टूटे होने के कारण विद्युत संकट होने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, आरिफ अकील, सदस्य, डिण्डोरी जिले के करंजिया थाना अन्तर्गत आंदोलनकारी आदिवासियों पर गोली चालन किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. कल्पना परूलेकर, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, पुलिया क्षतिग्रस्त होने से उज्जैन से महिदपुर जा रही स्कूल बस नदी में गिरने से बच्चों की मौत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में नक्सलवादी गतिविधियां संचालित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर चंबल संभाग में स्वयं के व्यय पर विद्युत ट्रांसफार्मर न लगाये जाने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले में नाबार्ड एवं आई.सी.पी. योजना से किये जा रहे कार्य अपूर्ण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार नगर में स्थित पेयजल टंकी क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री अजय सिंह "राहुल भैया",सदस्य, गुना जिले में बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत न किये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा पाईप खरीदी में शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री राजवर्धन सिंह "दत्तीगांव", सदस्य, भोपाल में प्रापर्टी डीलर द्वारा बेटे सहित आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम शहर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत कक्षों का निर्माण न किये जाने की ओर स्कूल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य, बालाघाट जिले में निर्धारित दर से धान की खरीदी न होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के चंबल नहर की मुख्य शाखा क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों की दवाएं नष्ट किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर शहर से एक छात्र का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य, सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसल नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(25) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में शासन के नियमों की अवहेलना किये जाने की ओर राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य, अनूपपुर जिले में मोजर वियर कम्पनी द्वारा विद्युत ताप गृह हेतु अधिग्रहीत भूमि के भू-स्वामियों का उचित व्यवस्थापन न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम पतुलिखी की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ख) मऊगंज तहसील के ग्राम- बिछरहटा की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ग) मऊगंज तहसील के ग्राम-घुरेहटा बड़ा टोला की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(घ) गंगेव विकासखंड के ग्राम गुढ़वा में नया ट्रान्सफार्मर लगाये जाने,

(ङ) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम ढ़ावा की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(च) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम बसिगडा के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(छ) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम कैलाशपुर की शासकीय मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ज) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम चौहना की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(झ) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम बरही की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ञ) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम-दुवगवां की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ट) जनपद पंचायत बरही के ग्राम-झरी में शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 30 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय

2 घन्टे — (1) मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल मर्यादित का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पर चर्चा.

2 घन्टे — (2) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 नवम्बर, 2009